

**उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत निर्णय**

सर्वश्री पूनम इन्टरप्राइजेज, 10, बी0 एन0 रोड, लखनऊ का उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र को दिनांक 19.12.2013 को निस्तारित किया गया जिसमें ' orthopedic appliances including crutches, surgical belts and trusses, splints and other fracture appliances ' को मेडिकल डिवाइस के अन्तर्गत 4% की दर से करयोग्य निर्धारित किया गया ।

2. प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.01.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 का एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि सर्वश्री श्री जी सर्जिकल्स के वाद में माननीय अधिकरण बेन्च-प्रथम, आगरा का एक निर्णय दिनांक 09.08.2011 धारा-59 की सुनवाई के समय प्रस्तुत किया गया था । इस निर्णय का कोई उल्लेख धारा-59 के निर्णय में नहीं है । यह भी कहा गया कि लिखित तर्कों में त्रुटिवश कमोडिटी कोड 90180000 अंकित हो गया था जबकि वास्तविक कमोडिटी कोड 90210000 है । यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (3) के अनुसार कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का धारा-59 का निर्णय पूर्व में कर निर्धारण अधिकारी अपीलीय अधिकारी रिवाइजिंग अधिकारी या ट्रिबुनल के ऐसे निर्णयों की वैधता को प्रभावित नहीं करेंगे जो धारा-59 के निर्णय के पूर्व पारित हों । अतः धारा-59 का निर्णय विधि विरुद्ध है ।

3. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शाह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा धारा-31 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

4. मेरे द्वारा धारा-31 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के आदेश में व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न से सन्दर्भित सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया गया है और प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता तथा विधिक स्थिति पर विचार करते हुए निर्णय दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (3) एवं उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 (3) के प्राविधान समान हैं । धारा-35 (3) के प्राविधानों के सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा M/s The Prag Ice & Oil Mills STI 1981 पृष्ठ-81 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

Sub-section (3) is in nature of saving clause. It saves earlier orders passed by any authority from the effect of Commissioner's decision.

इस व्यवस्था से यह भी स्पष्ट है कि धारा-59 के निर्णय के लिए अपील या माननीय अधिकरण का निर्णय बाध्यकारी नहीं है । इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय अधिकरण के निर्णय में उन तथ्यों पर विचार नहीं किया गया है जिन पर धारा-59 के प्रश्नगत निर्णय में विचार किया गया है । अतः यह निर्णय किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं है और न ही इस निर्णय से धारा-59 के निर्णय की वैधता पर कोई प्रभाव पड़ता है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के प्राविधान निम्न भाँति हैं :-

सर्वश्री पूनम इन्टरप्राइजेज / धारा-31 / पृष्ठ-2

Any officer, authority, the Tribunal or the High Court may on its own motion or on the application of the dealer or any other interested person rectify any mistake apparent on the face of record, in any order passed by him under this Act, within three years from the date of the order sought to be rectified.

प्रस्तुत धारा-31 के प्रार्थना-पत्र में कोई ऐसी त्रुटि इंगित नहीं की गयी है जो “ mistake apparent on record ” हो । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत पारित प्रश्नगत निर्णय एक सुविचारित आदेश है । इसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है ।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 12 फरवरी, 2014

ह0 / 12.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।